



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012024-251633  
CG-DL-E-29012024-251633

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945

No. 332]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

का.आ. 353(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 मई, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 489(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश के पैरा 1 में,

(i) क्रम संख्यांक 17 में "उप महानिरीक्षक पुलिस" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक पुलिस" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) क्रम संख्यांक 18 में "उप महानिरीक्षक पुलिस" शब्दों के स्थान पर "महानिरीक्षक पुलिस" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जेड-20018/1/1999-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 489(अ), तारीख 1 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक का.आ. 6035(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

**S.O. 353(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1<sup>st</sup> May 2003, namely:-

In the said Order, in paragraph I,

- (i) In serial number 17, for the words “Deputy Inspector General of Police, the words “Inspector General of Police” shall be substituted.
- (ii) In serial number 18, for the words “Deputy Inspector General of Police”, the words “Inspector General of Police” shall be substituted.

[F. No. Z-20018/1/1999-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 489(E), dated the 1<sup>st</sup> May, 2003 and last amended, *vide* numbers S.O. 6035 (E), dated the 23<sup>rd</sup> December, 2022.